उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 28/2022–23

परगना हाँसदा.....अपीलकर्त्ता

बनाम

बिनोद हाँसदा.....उत्तरकारी।

आदेश

17.02.2023

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–702/2007–08 में पारित आदेश दिनांक–06.09.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा–खुटोहरी, अंचल–सरैयाहाट एक प्रधानी मौजा है। मौजा के अंतिम नियुक्त प्रधान परगना हाँसदा थे। उनके मृत्यू के पश्चात् उनके पुत्र प्रधान हाँसदा को प्रधान नियुक्त किया गया, किन्तु नियुक्त प्रधान, प्रधान हाँसदा द्वारा जमानत की राशि एवं एवं काबुलियत जमा नही करने के कारण वाद को संचिकास्त किया गया। तत्पश्चात् भूतपूर्व प्रधान के भाई के पुत्र परगना हाँसदा द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति हेतु आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया एवं उन्हे मौजा का प्रधान पद पर आदेश दिनांक–03.03.2008 द्वारा नियुक्त किया गया। इसके विरूद्ध में पूर्व नियुक्त प्रधान, प्रधान हाँसदा द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0–33/2008–09 दायर किया गया। इस पर तत्कालीन उपायुक्त के आदेश दिनांक–13.09.14 द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपीलकर्त्ता के नियुक्ति के पूर्व रैयतों की राय जान लेने हेतु पूर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया गया। इसी बीच दिनांक–23.10.2017 को पूर्व प्रधान, प्रधान हाँसदा की मृत्यू हो गया एवं उनके पुत्र बिनोद हाँसदा (उत्तरकारी) को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के कहना है कि उत्तरकारी के नियुक्ति के पूर्व संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) 1950 का रूल्स शिड्यूल V का अनुपालन नहीं किया गया है। उत्तरकारी द्वारा गेंजर प्रधान का गलत वंशावली प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है।

उत्तरकारी पूर्व आवेदन (प्रधानी वाद) में आवेदक नही था। वर्तमान में उक्त आदेश के विरूद्ध में आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के न्यायालय में R.M.A 134/2014-15 लंबित है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

उत्तरकारी अंतिम नियुक्त प्रधान, प्रधान हॉसदा के पुत्र है। इनकी नियुक्ति को सक्षम पदाधिकारी निरस्त नहीं किया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा के प्रधान पद किया गया नियुक्ति को बरकरार रखा जाय एवं अपीलकर्त्ता के आवेदन को निरस्त किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि उत्तरकारी के पिता प्रधान हॉसदा के द्वारा जमानत की राशि जमा नहीं करने के कारण वाद को मात्र संचिकास्त किया गया था। किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रधान हाँसदा की नियुक्ति को निरस्त नही किया गया था। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित है कि वाद को संचिकास्त किये जाने के पश्चात् भी प्रधान हॉसदा प्रधान कार्य कर रहे थे। आदेश में यह भी उल्लेख है कि प्रधानी वाद को संचिकास्त किये जाने संबंधित आदेश को प्रधान बरखास्तगी का आदेश नहीं माना जा सकता है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अनुसार यदि प्रधान बरखास्त नही हो तो उनके प्रधान नियुक्त किया जा सकता है। इसी आधार पर उत्तरकारी को मौजा का प्रधान संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

पुनः यह भी उल्लेख है कि:–

"The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman."

इसी प्रकार से **Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724.** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय के **Division Bench** द्वारा स्थापित किया गया है कि :–

"Section-6 refers to the appointment of a Headman of a village which is not a khas village, by providing that on the death of Headman, the same has to be reported within three month of the death to the Deputy Commissioner with a view to appoint a village Headman in the prescribed manner. It is in this context that the clause in Schedule V are relevant and Clause 4 thereof clearly shows that the next of heir of the deceased Headman, unless he is disqualified, shall be the successor Headman of the village.The procedure laid down in Rule 3 of the General Rules is seen to relate to the appointment of Headman on application under section 5 of the Act.

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा खुटहरी का अंतिम प्रधान, प्रधान हॉसदा थे, किन्तु उनके द्वारा जमानत की राशि एंव काबुलियत जमा नहीं करने के कारण वाद को संचिकास्त किया गया। किन्तु इसकी नियुक्ति आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। फलस्वरूप इनकी मुत्यू के पश्चात् उनके पुत्र उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है जो सही प्रतीत होता है तथा आदेश को बरकरार रखने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं प्रावधानों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है तथा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.02.23 12:36:36 +05:30
Location: 169.254.227.244